

ग्रामीण	*
शहरी	

केन्द्रीय	*
राज्य	

भारत सरकार

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

समाजार्थिक सर्वेक्षण

छियासठवां दौर: जुलाई 2009 – जून 2010

अनुसूची 10: रोजगार एवम् बेरोजगारी

[0] प्रतिदर्श परिवार की विवरणात्मक पहचान	
1. राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्रः	5. खेड़े का नाम:
2. जिला:	6. वार्ड / अन्वेषक इकाई / खण्डः
3. तहसील / नगरः	7. परिवार के मुखिया का नाम:
4. गांव का नाम:	8. सूचक का नाम:

[1] प्रतिदर्श परिवार की पहचान							
मद सं.	मद	संकेतांक			मद सं.	मद	संकेतांक
1.	प्रतिदर्श ग्राम /खण्ड की क्र.सं.				11.	उप-प्रतिदर्श	
2.	दौर संख्या	6		6	12.	क्ष. सं. प्र. उप-क्षेत्र	
3.	अनुसूची संख्या	1	0	0	13.	प्रतिदर्श खे.स. /उ.ख. संख्या(1/2)	
4.	प्रतिदर्श (केन्द्रीय-1, राज्य-2)				14.	द्वितीय-चरण स्तर संख्या	
5.	क्षेत्रक (ग्रामीण-1, नगरीय-2)				15.	प्रतिदर्श परिवार संख्या	
6.	रा.प्र.स.क्षेत्र				16.	सूचक की क्रम संख्या (खंड 4, स्तंभ 1 के अनुसार)	
7.	जिला				17.	प्रत्युत्तर संकेतांक	
8.	स्तर				18.	सर्वेक्षण संकेतांक	
9.	उप-स्तर				19.	मूल परिवार के प्रतिस्थापन का कारण (संकेतांक)	
10.	उप-दौर						

खण्ड -1 हेतु संकेतांक

मद 17: प्रत्युत्तर संकेतांक: सूचक सहयोगी एवं सक्षम-1, सहयोगी किन्तु अक्षम-2, व्यस्त-3, अनिच्छुक-4, अन्य-9

मद 18: सर्वेक्षण संकेतांक: सर्वेक्षित परिवार: मूल-1, प्रतिस्थापित-2, आहत-3

मद 19: मूल परिवार के प्रतिस्थापन का कारण: सूचक व्यस्त-1, सदस्य घर से बाहर-2, सूचक असहयोगी-3, अन्य-9

*समुचित स्थान पर सही (✓) का निशान लगाएं।

[2] क्षेत्र संकार्य का विवरण									
क्रमांक	मद			अन्वेषक			पर्यवेक्षण अधिकारी		
(1)	(2)			(3)			(4)		
1.	i) नाम (स्पष्ट अक्षरों में)								
	ii) संकेतांक								
2.	इसका दिनांक:			तिथि	माह	वर्ष	तिथि	माह	वर्ष
	(i) सर्वेक्षण/ निरीक्षण								
	(ii) प्राप्ति								
	(iii) संवीक्षा								
	(iv) प्रेषण								
3.	संलग्न अतिरिक्त पत्रकों की संख्या								
4.	भरने में लगा कुल	अनु. 10							
5.	समय (मिनटों में)	अनु. 10 का खंड 9							
6.	क्या अनुसूची में अभ्युक्तियां दर्ज की गई हैं? (हां-1, नहीं-2)			खंड 10/11 में			अनुसूची में और कहीं		
7.	हस्ताक्षर								

[10] अन्वेषक की अभ्युक्तियां

[11] पर्यवेक्षी अधिकारी (यों) की अभ्युक्तियां

[3] पारिवारिक विशेषताएं										
1.	परिवार का आकार				10.	क्या परिवार नरेगा कार्य-कार्ड धारक है (हां-1, नहीं-2)				
2.	प्रमुख उद्योग (रा. औ. व. - 2004)	विवरण:				11.	क्या विगत 365 दिनों के दौरान नरेगा में कार्य मिला (संकेतांक)			
		संकेतांक (5-अंकीय)					12.	यदि मद सं. 11 में संकेतांक 1 है तो		कार्य किए गए दिनों की संख्या
3.	प्रमुख व्यवसाय (रा. व्या. व.- 2004)	विवरण:				13.		क्या परिवार का कोई सदस्य डाकघर खाता धारक है (हां-1, नहीं-2, पता नहीं-9) तथा सर्वेक्षण की तिथि को परिवार में ऐसे खातों की संख्या (मद 14 से 17)		
		संकेतांक (3-अंकीय)					डाकघर के खाते का प्रकार		क्या किसी सदस्य का खाता है (हां-1, नहीं-2, पता नहीं-9)	
4.	परिवार प्रारूप (संकेतांक)				14.	बचत बैंक				
5.	धर्म (संकेतांक)				15.	आवर्ती जमा खाता				
6.	सामाजिक वर्ग (संकेतांक)				16.	मासिक आय खाता योजना				
7.	सर्वेक्षण तिथि को स्वामित्वाधीन भूमि (0.000 हेक्टेयर)				17.	कोई और खाता या बचत यंत्र				
8.	सर्वेक्षण तिथि को धारित भूमि (0.000 हेक्टेयर)				क्या विगत तीन महीनों के दौरान किसी सदस्य ने किसी भी डाकघर में निम्न सेवाओं का प्रयोग किया है। (हां-1, नहीं-2, पता नहीं-9) (मद संख्या 18 से 20)					
					18.	धनादेश				
9.	खेती की गई भूमि (फलोद्यान तथा बागवानी सहित) जुलाई 2008 से जून 2009 के दौरान (0.000 हेक्टेयर)				19.	तुरंत धनादेश				
					20.	अन्तराष्ट्रीय मुद्रा स्थानान्तरण सेवा				

टिप्पणी: 1 एकड़ = 0.4047 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर = 10,000 वर्ग मीटर

खंड 3 हेतु संकेतांक

मद 4: परिवार का प्रारूप:

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये: गैर कृषि में स्वनियोजित-1, कृषि श्रमिक-2, अन्य श्रमिक-3, कृषि में स्वनियोजित-4, अन्य-9.

शहरी क्षेत्रों के लिये: स्वनियोजित-1, नियमित मजदूरी/वेतनभोगी-2, अनियमित मजदूर-3, अन्य-9.

मद 5: धर्म: हिंदू-1, इस्लाम-2, ईसाई-3, सिक्ख-4, जैन-5, बौद्ध-6, पारसी-7, अन्य-9.

मद 6: सामाजिक समूह: अनुसूचित जनजाति-1, अनुसूचित जाति-2, अन्य पिछड़ा वर्ग-3, अन्य-9.

मद 11: क्या नरेगा कार्यों में कार्य किया: नरेगा कार्यों में कार्य पाया-1, नरेगा कार्यों में काम मांगा किन्तु नहीं पाया-2, नरेगा कार्यों में काम नहीं मांगा-3.

मद 13: भुगतान का तरीका: भुगतान किया गया: सीधे डाकघर खाते में -1, सीधे बैंक खाते में -2, ग्राम सभा की बैठक में -3, क्षेत्र सहायक/ मित्र द्वारा -4, किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा -5, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से -6, अन्य-9; अभी तक भुगतान नहीं हुआ -7.

[3.1] सर्वेक्षण के दिन ग्रामीण श्रमिक परिवार की ऋणग्रस्तता (अर्थात् परिवार जिन्हें खंड 1 के मद 5 के समक्ष संकेतांक 1 के साथ खंड 3, मद 4 में संकेतांक 2 या 3 हो)

ऋण की क्र.सं.	ऋण की प्रकृति (संकेतांक)	स्रोत (संकेतांक)	उद्देश्य (संकेतांक)	सर्वेक्षण तिथि को ब्याज सहित देय राशि (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
योग				

खंड 3.1 के लिये संकेतांक

स्तम्भ (2): ऋण की प्रकृति: आनुवंशिक ऋण -1, नकद रूप में लिया गया ऋण -2, वस्तु के रूप में लिया गया ऋण -3,

कुछ हिस्सा नकद एवं कुछ वस्तु रूप में लिया गया ऋण -4.

स्तम्भ (3): स्रोत: सरकार -1, सहकारी समिति -2, बैंक -3, नियोक्ता/ भू-स्वामी -4, कृषि/ पेशेवर साहूकार -5, दुकानदार/व्यापारी -6, संबंधी/ मित्र -7, अन्य -9.

स्तम्भ (4): उद्देश्य: पारिवारिक उपभोग: चिकित्सा व्यय -1, शैक्षिक व्यय -2, कानूनी व्यय -3, विवाह एवं अन्य समारोह संबंधी व्यय -4, अन्य पारिवारिक उपभोग -5; भूमि की खरीद/ भवन निर्माण -6, अन्य उत्पादक उद्देश्य -7, ऋण का भुगतान -8, अन्य -9.

खण्ड 4 हेतु संकेतांक

स्तम्भ (3): मुखिया से संबंध: स्वयं-1, मुखिया कीका पत्नी/पति-2, विवाहित बच्चा-3, विवाहित बच्चे कीका पत्नी/पति-4, अविवाहित बच्चा-5, पोता/पोती/नाती/नातिन-6, पिता/माता/ससुर/सास-7, भाई/बहन/देवर/जेठ/बहनोई/साला/साढ़/ननद/भाभी/तन्दोई/जेठानी/साली/सलहज/अनुजयधू/अन्य संबंधी-8, नौकर/कर्मचारी/अन्य असंबंधी-9.

स्तम्भ (6): वैवाहिक स्थिति संकेतांक: कभी विवाहित नहीं-1, वर्तमान में विवाहित-2, विधुर/विधवा-3, तलाकशुदा/पृथक्कृत-4.

स्तम्भ (7): शिक्षा स्तर-सामान्य: साक्षर नहीं-01, बिना औपचारिक शिक्षा प्राप्त किये साक्षर: ई.जी.एस एन. एफ. ई. सी/ए.ई.सी.-02, टी. एल. सी.-03, अन्य-04; साक्षर: प्राथमिक से कम-05, प्राथमिक-06, मिडिल-07, माध्यमिक-08, उच्चतर माध्यमिक-10, डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम-11, स्नातक-12, स्नातकोत्तर या अधिक-13.

स्तम्भ (8): शैक्षिक स्तर-तकनीकी: कोई तकनीकी शिक्षा नहीं-01, तकनीकी स्नातक कृषि/अभियांत्रिकी/प्रायोगिकी/चिकित्सा, इत्यादि: विषयों में-02, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र (स्नातक स्तर से कम): कृषि में-03, अभियांत्रिकी/प्रायोगिकी में-04, चिकित्सा में-05, शिल्प में-06, अन्य विषयों में-07; डिप्लोमा या प्रमाणपत्र (स्नातक स्तर या उससे अधिक): कृषि में-08, अभियांत्रिकी/प्रायोगिकी में-09, चिकित्सा में-10, शिल्प में-11, अन्य विषयों में-12.

स्तम्भ (9): वर्तमान उपस्थिति का स्तर: वर्तमान में उपस्थित नहीं: कभी उपस्थित नहीं: पाठशाला बहुत दूर-01, पारिवारिक आय में सहायता के लिए-02, शिक्षा आवश्यक नहीं समझी-03, घरेलू कार्य करने के लिए-04, अन्य-05; पूर्व में उपस्थित हुआ परन्तु वर्तमान में उपस्थित नहीं: पाठशाला बहुत दूर-11, पारिवारिक आय में सहायता के लिए-12, शिक्षा आवश्यक नहीं समझी-13, घरेलू कार्य करने के लिए-14, अन्य-15; वर्तमान में उपस्थित: ई.जी.एस एन. एफ. ई. सी/ए.ई.सी. में-21, टी.एल.सी.-22, पूर्व प्राथमिक (नर्सरी/कै.जी., आदि) में-23, प्राथमिक: कक्षा I से IV/V में-24, मिडिल में-25, माध्यमिक-26, उच्चतर माध्यमिक-27, स्नातक: कृषि में-28, अभियांत्रिकी/प्रायोगिकी में-29, चिकित्सा में-30, अन्य विषयों में-31; स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक-32, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र (स्नातक स्तर से नीचे): कृषि में-33, अभियांत्रिकी/प्रायोगिकी में-34, चिकित्सा में-35, शिल्प में-36, अन्य विषयों में-37; डिप्लोमा या प्रमाणपत्र (स्नातक स्तर): कृषि में-38, अभियांत्रिकी/प्रायोगिकी में-39, चिकित्सा में-40, शिल्प में-41, अन्य विषयों में-42; स्नातकोत्तर एवं उच्चतर स्तर का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र-43.

स्तम्भ (10): संस्था का प्रकार: सरकारी-1, स्थानीय निकाय-2, सहायता प्राप्त निजी-3, बिना सहायता प्राप्त निजी-4, जात नहीं-5.

स्तम्भ (12): क्या कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया/कर रहे हैं: हां: औपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं-1; व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया: औपचारिक-2, अनौपचारिक: पैनिक-3, स्वयं सीखा-4, काम करते हुए सीखा-5, अन्य-6; कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया-7.

स्तम्भ (13): प्रशिक्षण का क्षेत्र: यान्त्रिक अभियांत्रिकी ट्रेड-01, वैद्युत/इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी ट्रेड-02, कम्प्यूटर ट्रेड-03, सिविल अभियांत्रिकी एवं भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य-04, रासायनिक अभियांत्रिकी ट्रेड-05, चर्म सम्बन्धी कार्य-06, वस्त्र सम्बन्धी कार्य-07, खान-पान, होटल तथा जलपान गृह सम्बन्धी कार्य-08, शिल्पकार/दस्तकार/कर्मकार एवं कुटीर/उद्योगों से सम्बन्धित उत्पादन कार्य-09, सृजनात्मक कला/कलाकार-10, कृषि एवं फसल उत्पादन सम्बन्धी दक्षताएँ एवं खाद्य संरक्षण सम्बन्धित कार्य-11, फसल उत्पादन के अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी एवं अन्य सम्बन्धित क्रियाकलाप-12, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यसेवा सम्बन्धी सेवाएँ-13, कार्यालय एवं व्यवसाय सम्बन्धी कार्य-14, वाहन चालन/वाहन यांत्रिक कार्य-15, सौन्दर्य कला, केश विन्यास एवं सम्बन्धित कार्य-16, दौरा संचालक/पर्यटन प्रबंधन से सम्बन्धित कार्य-17, फोटोग्राफी एवं सम्बन्धित कार्य-18, बच्चों की देखभाल, पुष्टाहार, पूर्व पाठशाला एवं क्रेच-19, पत्रकारिता, जनसंचार एवं संचार माध्यम सम्बन्धित कार्य-20, मुद्रण प्रायोगिकी सम्बन्धी कार्य-21, अन्य-99.

स्तम्भ (15): स्रोत जहां से उपाधि / डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र प्राप्त किया / करने वाले हैं:

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आई.टी.आई./औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र(आई. टी. सी.)-01, व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाली पाठशालाएँ (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर)-02, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग(यू.जी.सी.) (प्रथम स्नातक स्तर)-03, पॉलिटेक्निक-04, सामुदायिक पॉलिटेक्निक/जन शिक्षा संस्था-05, राष्ट्रीय खुला विद्यालय-06, होटल प्रबंधन संस्थान-07, पाक कला एवं कैटरिंग संस्थान-08, लघु उद्योग सेवा संस्थान/जिला उद्योग केन्द्र/टूल रूम सेन्टर-09, फैशन प्रायोगिकी संस्थान-10, सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई कला संस्थान-11, नर्सिंग संस्थान-12, पुनर्स्थापन/शारीरिक चिकित्सा/नेत्र विकार एवं दन्त चिकित्सा संस्थान-13, औषधि निर्माण में डिप्लोमा देने वाले संस्थान-14, चिकित्सालय एवं आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान-15, नर्सरी टीचर्स प्रशिक्षण संस्थान-16, कृषि विस्तार हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान-17, कालीन बुनाई केन्द्र द्वारा दिया गया प्रशिक्षण-18, हैण्डलूम/दस्तकारी, अभिकल्प प्रशिक्षण केन्द्र/खादी एवं ग्राम उद्योग केन्द्र-19, मान्यता प्राप्त वाहन चालन स्कूल-20, सचिवालयीन प्रशिक्षण संस्थान-21, मान्यता प्राप्त सौन्दर्य कला प्रशिक्षण स्कूल-22, कम्पनियों/निगमों द्वारा प्रचलित संस्थान-23, पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान-24, अन्य संस्थान-99.

स्तम्भ (16): क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण कभी नौकरी पाने में सहायक हुआ है? हां: स्वरोजगार गतिविधियों में सहायक-1, मजदूरी/वैतनिक रोजगार पाने में सहायक-2, सहायक नहीं था-3, लागू नहीं-4.

खंड 5.1 के लिये संकेतांक

स्तम्भ (3): स्तर: पारिवारिक उद्यम में कार्यरत (स्वानियोजित): स्वकार्यरत कर्मी -11, नियोक्ता-12, पारिवारिक उद्यम में सहायक के रूप में कार्य किया (अवैतनिक पारिवारिक कर्मी)-21; नियमित वेतन /मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी-31; आकस्मिक मजदूर के रूप में कार्य किया : सार्वजनिक निर्माण कार्य में-41, अन्य प्रकार के कार्यों में-51: कार्य नहीं किया किन्तु कार्य की तलाश में था/ कार्य के लिए उपलब्ध था-81; शिक्षा संस्थानों में उपस्थित रहा-91; केवल घरेलू कार्य किया-92; घरेलू कार्य किया तथा पारिवारिक उपयोग हेतु वस्तुएं (सब्जियां, कन्द, ईंधन की लकड़ी, पशुचारा आदि) के नि:शुल्क संग्रह, सिलाई, दर्जी कार्य, बुनाई आदि में भी व्यस्त रहा-93; किराया भोगी, पेंशन भोगी, पोषित धन प्राप्त कर्ता इत्यादि-94; अपंगता के कारण कार्य नहीं किया-95: अन्य (भिक्षाटन, वेश्यावृत्ति आदि)-97

स्तम्भ (5): उद्योग: 5-अंकीय संकेतांक एन.सी.सी.-2004 के अनुसार

स्तम्भ (6): व्यवसाय: 3-अंकीय संकेतांक एन.सी.ओ-2004 के अनुसार

स्तम्भ (8): कार्यस्थल की अवस्थिति: कार्यस्थल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित: अपने वास स्थान में-10; अपने वास स्थान से जुड़ी इमारत-11; अपने वास स्थान से जुड़ी खुली जगह-12; अपने वास स्थान से सटी हुई अलग इमारत-13; स्वयं का उद्यम/ इकाई/ कार्यालय/ दुकान परन्तु निवास स्थान से दूर-14; नियोक्ता का वास स्थान-15; नियोक्ता का उद्यम/ इकाई/ कार्यालय/ दुकान परन्तु नियोक्ता के वास स्थान से बाहर-16; सड़क पर निर्धारित स्थान पर-17; निर्माण स्थल-18; अन्य-19; कार्यस्थल शहरी क्षेत्र में स्थित- अपने वास स्थान में-20, अपने वास स्थान से सम्बद्ध इमारत-21, अपने वास स्थान से जुड़ी खाली जगह-22, अपने वास स्थान से सटी हुई अलग इमारत-23, अपना उद्यम/ इकाई/ कार्यालय/ दुकान परन्तु वास स्थान से दूर-24, नियोक्ता का वास स्थान -25, नियोक्ता का उद्यम/ इकाई/ कार्यालय/ दुकान परन्तु नियोक्ता के वास स्थान से बाहर-26, सड़क पर निर्धारित स्थान पर-27, निर्माण स्थल-28, अन्य-29, कोई स्थायी कार्यस्थल नहीं-99

स्तम्भ (9): उद्यम का प्रकार: एकल स्वामित्व: पुरुष-1, महिला-2; साझेदारी: उसी परिवार के सदस्यों के साथ-3, विभिन्न परिवारों के सदस्यों के साथ-4; सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र-5, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी-6, सहकारी समिति/ट्रस्ट/ अन्य लाभ निरपेक्ष संस्थान-7, नियोक्ता परिवार (अर्थात् निजी कार्य हेतु परिवारों द्वारा नियुक्त घरेलू नौकर, चौकीदार, रसोइया आदि)-8, अन्य-9.

स्तम्भ (11): उद्यम में कर्मचारियों की संख्या: 6 से कम-1, 6 से अधिक पर 10 से कम-2, 10 और उससे अधिक पर 20 से कम-3, 20 और उससे अधिक-4, जात नहीं-9.

स्तम्भ (12): नौकरी के करार का प्रकार: कोई लिखित सेवा करार नहीं-1; लिखित सेवा करार: एक वर्ष या कम-2, एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक-3, 3 वर्ष से अधिक-4.

स्तम्भ (14): सामाजिक सुरक्षा लाभों की उपलब्धता: योग्य: केवल भविष्य निधि/ पेंशन के लिये (अर्थात् जी.पी.एफ., सी.पी.एफ., पेंशन आदि)-1, केवल ग्रेच्युटी-2, केवल स्वास्थ्य रक्षा एवं मातृत्व लाभ-3, केवल भविष्य निधि/पेंशन एवं ग्रेच्युटी-4, केवल भविष्य निधि/ पेंशन एवं स्वास्थ्य रक्षा तथा मातृत्व लाभ-5, केवल ग्रेच्युटी एवं स्वास्थ्य रक्षा एवं मातृत्व लाभ-6, भविष्य निधि/ पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य रक्षा एवं मातृत्व लाभ-7; उपरोक्त में से किसी सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिये योग्य नहीं-8.

स्तम्भ (15): भुगतान की विधि: नियमित मासिक वेतन-1, नियमित साप्ताहिक भुगतान-2, दैनिक भुगतान-3, मात्रानुसार (पीस रेट) भुगतान-4, अन्य-5.

स्तम्भ (16): क्या दिये गये विनिर्देशों के अन्तर्गत कार्य किया गया: हां: सम्पूर्णतः-1, मुख्यतः-2, अंशतः-3; नहीं-4, पता नहीं-9

स्तम्भ (17): ऋण/ कच्चा माल/ उपस्कर किसने दिया: अपनी व्यवस्था-1; उद्यम द्वारा प्रदान किया गया: मात्र ऋण-2, मात्र कच्चा माल-3, मात्र उपस्कर-4, मात्र ऋण एवं कच्चा माल-5, मात्र ऋण एवं उपस्कर-6, मात्र कच्चा माल एवं उपस्कर-7, ऋण, कच्चा माल एवं उपस्कर-8; पता नहीं-9

स्तम्भ (18): निपटान निर्गमों की संख्या: एक निर्गम-1, 2 निर्गम-2, 3 या अधिक निर्गम-3; पता नहीं-9.

स्तम्भ (21): गत 365 दिनों में काम की तलाश में/ कार्य के लिए उपलब्धता की अवधि: तलाश की/ उपलब्ध थे: 1 महीने से कम-1.1 माह से अधिक परन्तु 3 माह से कम-2.3 माह और अधिक परन्तु 7 माह से कम-3.7 माह और अधिक परन्तु 10 माह से कम-4, 10 माह से 12 माह -5; तलाश नहीं की/ उपलब्ध नहीं थे-6.

स्तम्भ (22): व्यवसाय का प्रकार जिसकी तलाश में / जिसके लिये उपलब्ध थे/ जिसके उपयुक्त हैं: 3-अंकीय संकेतांक एन.सी.ओ.-2004 के अनुसार

खंड 5.2 के लिये संकेतांक

स्तम्भ (3): स्तर: संकेतांक जैसा कि स्तम्भ 3 खण्ड 5.1 के लिए दिए हैं (केवल संकेतांक 11 से 51 तक ही यहां लागू हैं);

स्तम्भ (5): उद्योग: 5-अंकीय संकेतांक एन.सी.सी.-2004 के अनुसार; स्तम्भ (6): व्यवसाय: 3-अंकीय संकेतांक एन.सी.ओ-2004 के अनुसार;

स्तम्भ (7): कार्यस्थल की अवस्थिति: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 8 के लिए दिए गए हैं; स्तम्भ (8): उद्यम का प्रकार: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 9 के लिए दिए गए हैं;

स्तम्भ (10): उद्यम कर्मचारियों की संख्या: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 11 के लिए दिए गए हैं; स्तम्भ (11): नौकरी के करार का प्रकार: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 12 के लिए दिए गए हैं;

स्तम्भ (13): सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 14 के लिए दिए गए हैं;

स्तम्भ (14): भुगतान की विधि: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 15 के लिए दिए गए हैं;

स्तम्भ (15): क्या दिये गये विनिर्देशों के अन्तर्गत कार्य हुआ: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 16 के लिए दिए गए हैं;

स्तम्भ (16): पूंजी(साख)/कच्ची/सामग्री/उपकरण किसने उपलब्ध कराए: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 17 के लिए दिए गए हैं;

स्तम्भ (17): निपटान निर्गमों की संख्या: संकेतांक जैसा कि खण्ड 5.1 के स्तम्भ 18 के लिए दिए गए हैं;

खंड 5.3 हेतु संकेतांक

स्तम्भ (4) एवं (20) स्तर: स्तम्भ 3, खंड 5.1 के संकेतांक 11, 12, 21, 31, 51 तथा 91-95, 97 के अलावा निम्नलिखित: नरेगा कार्यो के अलावा अन्य लोक कार्यो में आकस्मिक मजदूरी श्रमिक-41, नरेगा कार्यो में आकस्मिक मजदूरी श्रमिक-42, पारिवारिक उपभोग में कार्य उपलब्ध किन्तु कार्य नहीं किया; बीमारी के कारण-61, अन्य कारण से-62; नियमित वेतन/ दैनिक मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध किन्तु कार्य नहीं किया; बीमारी के कारण-71, अन्य कारण से-72; कार्य तलाश किया-81, कार्य नहीं किया किन्तु कार्य की तलाश में था/ कार्य के लिए उपलब्ध था-82, अस्थायी बीमारी के कारण कार्य नहीं किया (केवल आकस्मिक श्रमिकों के लिये)-98.

स्तम्भ (5): उद्योग प्रभाग: 2-अंकीय संकेतांक एन. आई. सी. - 2004 संकेतांक के अनुसार

स्तम्भ (6): प्रचालन (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु): खेती में शारीरिक श्रम: जुलाई-01, बीजारोपण-02, प्रतिरोपण-03, निराई-04, कटाई-05, अन्य कृषि कार्य-06; अन्य कृषि कार्य में शारीरिक श्रम: यानिकी-07, बागबानी-08, पशुपालन-10, मत्स्य पालन-11, अन्य कृषि कार्य-12; गैर कृषि कार्य में शारीरिक श्रम-13, गैर शारीरिक श्रम: खेती में -14, कृषि के अतिरिक्त कार्यकलाप-15.

स्तम्भ (18): भुगतान की विधि: मात्रानुसार नकद: दैनिक-01, साप्ताहिक-02, पाक्षिक-03, मासिक-04, अन्य-05;

मात्रानुसार वस्तु के रूप में: दैनिक-06, साप्ताहिक-07, पाक्षिक-08, मासिक-09, अन्य-10;

मात्रानुसार नकद एवं वस्तु के रूप में: दैनिक-11, साप्ताहिक-12, पाक्षिक-13, मासिक-14, अन्य-15;

अन्य (गैर मात्रा) नकद: दैनिक-16, साप्ताहिक-17, पाक्षिक-18, मासिक-19, अन्य-20;

अन्य (गैर मात्रा) वस्तु के रूप में: दैनिक-21, साप्ताहिक-22, पाक्षिक-23, मासिक-24, अन्य-25;

अन्य (गैर मात्रा) नकद एवं वस्तु के रूप में: दैनिक-26, साप्ताहिक-27, पाक्षिक-28, मासिक-29, अन्य-30.

स्तम्भ (21): उद्योग: 5 अंकीय संकेतांक एन. आई. सी. - 2004 के अनुसार

स्तम्भ (22): व्यवसाय: 3 अंकीय संकेतांक एन. सी. ओ. -2004 के अनुसार

[6] सप्ताह के समस्त सात दिनों में बेरोजगार रहे व्यक्तियों के लिए अनुवर्ती प्रश्न (जब खण्ड 5.3 के स्तम्भ-23 में संकेतांक-1 हो)

क्र. सं. (खण्ड 5.3 के स्तम्भ 1 के अनुसार)	आयु (वर्षों में) खण्ड 5.3 के स्तम्भ-2 के अनुसार	वर्तमान बेरोजगारी की अवधि (संकेतांक)	क्या कमी रोजगार में थे (हां-1, नहीं-2)	यदि स्तम्भ-4 में संकेतांक-1 हो तो पिछले रोजगार का विवरण					
				अवधि (संकेतांक)	स्तर (संकेतांक)	उद्योग (2 अंकीय एन. आई. सी.-2004 संकेतांक)	व्यवसाय (3 अंकीय एन. सी. ओ.-2004 संकेतांक)	रोजगार में व्यवधान का कारण (संकेतांक)	स्तम्भ 9 में संकेतांक 2 के लिये नौकरी छोड़ने का कारण (संकेतांक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

खंड 6 के लिए संकेतांक

स्तम्भ (3): वर्तमान बेरोजगारी की अवधि: केवल एक सप्ताह-1, एक सप्ताह से अधिक एवं दो सप्ताह तक-2, दो सप्ताह से अधिक एवं एक माह तक-3, एक माह से अधिक एवं दो माह तक-4, दो माह से अधिक एवं 3 माह तक-5, 3 माह से अधिक एवं 6 माह तक-6, 6 महीने से अधिक एवं 12 महीने तक-7, 12 महीनों से अधिक-8.

स्तम्भ (5): पिछले रोजगार की अवधि: केवल 1 माह-1, 1 माह से अधिक एवं 2 माह तक-2, दो माह से अधिक एवं 3 माह तक-3, 3 माह से अधिक एवं 6 माह तक-4, 6 महीने से अधिक एवं 12 महीने तक-5, 12 महीनों से अधिक-6.

स्तम्भ (6): स्तर संकेतांक तांचा वही जो खंड 5.1, स्तम्भ (3) में है। (केवल संकेतांक 11 - 51 उपयुक्त हैं)

स्तम्भ (9): रोजगार में व्यवधान का कारण: पिछली नौकरी छूट जाना-1, पिछली नौकरी छोड़ देना-2, बिना वेतन काम बन्दी-3, इकाई का बन्द हो जाना-4, उपभोग में काम की कमी (स्वयंयोजित व्यक्तियों के लिए)-5, इस क्षेत्र में कार्य की कमी (अनियमित मजदूर हेतु)-6, अन्य-9.

स्तम्भ (10): नौकरी छोड़ने का कारण: कार्य पर्याप्त पारिश्रमिक वाला नहीं-1, वातावरण अनुपयुक्त-2, नियुक्ति सख्त-3, स्वास्थ्य ज़ोखिम-4, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करना-5, अन्य-9.

[8] ऐसे व्यक्तियों के लिये अनुवर्ती प्रश्न जिनका खंड 5.1, स्तम्भ-3 में प्रायिक प्रमुख क्रियाकलाप स्तर संकेतांक 92 या 93 हों					
1.	खंड-5.1 स्तम्भ 1 के अनुसार क्र. सं.				
2.	खंड-5.1 स्तम्भ 2 के अनुसार आयु (वर्षों में)				
3.	क्या गत वर्ष लगभग पूरे साल आपको घरेलू दायित्वों पर अपना अधिकतर समय व्यतीत करना पड़ा (हां-1, नहीं-2)				
4.	यदि मद 3 में संकेतांक 1 हों तो इसका कारण (घरेलू दायित्वों को पूरा करने के लिये कोई अन्य सदस्य नहीं-1, नौकर रखने की स्थिति में नहीं-2, सामाजिक एवं/अथवा धार्मिक अड़चनों के कारण-3, अन्य-9)				
5.	यदि मद 3 में संकेतांक 2 हों, फिर भी घरेलू दायित्वों में लगे रहने का कारण (कार्य की अनुपलब्धता-1, प्राथमिकता से-2, अन्य-9)				
मद 6 से 19 के लिये अपने घरेलू दायित्वों को निभाने के साथ क्या आपने गत 365 दिनों में लगभग नियमित रूप से सम्पन्न किया					
6.	घरेलू बगीचा, क्यारी की देखभाल? (हां-1, नहीं-2)				
7.	पारिवारिक मुर्गीपालन, डेयरी आदि में कार्य? (हां-1, नहीं-2)				
8.	पारिवारिक उपभोग के लिये मछली पकड़ना, शिकार करना, जंगली फल, सब्जियां आदि एकत्र करना? (हां-1, नहीं-2)				
9.	पारिवारिक उपभोग के लिये जलाऊ लकड़ी, गोबर, चारा, आदि एकत्र करना? (हां-1, नहीं-2)				
10.	पारिवारिक उपभोग के लिये धान की कुटाई? (संकेतांक)				
11.	पारिवारिक उपभोग के लिये अनाजों की पिसाई? (संकेतांक)				
12.	पारिवारिक उपभोग के लिये गुड़ बनाना? (संकेतांक)				
13.	पारिवारिक उपभोग के लिये मांस, मछली का संरक्षण? (संकेतांक)				
14.	पारिवारिक उपभोग के लिये टोकरी, चटाई बनाना? (संकेतांक)				
15.	परिवार में ईंधन हेतु उपयोग के लिये उपले बनाना? (हां-1, नहीं-2)				
16.	पारिवारिक उपयोग के लिये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि (हां-1, नहीं-2)				
17.	अपने एवं अन्य के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना (हां-1, नहीं-2)				
18.	निकास स्थान के बाहर से पानी लाना (हां-1, नहीं-2)				
केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए	19. ग्राम के बाहर से पानी लाना? (हां-1, नहीं-2)				
	20. यदि मद 19 में 1 हो तो, दूरी कि.मी. में.				
21.	घरेलू दायित्वों में संलग्न होने के बावजूद क्या अन्य कार्य करना पसंद करेंगे यदि कार्य आपके घर पर उपलब्ध कराया जाये? (हां-1, नहीं-2)				
यदि मद 21 में संकेतांक 1 हो तो	22. स्वीकार्य कार्य की प्रकृति (नियमित पूर्ण कालिक-1, नियमित अंशकालिक-2, अनियमित(आकस्मिक) पूर्णकालिक-3, अनियमित(आकस्मिक) अंशकालिक-4)				
	23. स्वीकार्य कार्य का प्रकार (संकेतांक)				
	24. क्या आपमें उस कार्य को करने के लिए कोई कौशल/ अनुभव है? (हां-1, नहीं-2)				
	25. उस कार्य को प्रारम्भ करने के लिये आपको क्या सहयोग आवश्यक है? (संकेतांक)				

खंड 8 के लिये संकेतांक

मद 10-14: हां: अपने खेत की पैदावार/निःशुल्क एकत्र की हुई वस्तुएं-1, अन्य तरीकों से प्राप्त वस्तुएं-2; नहीं-3.

मद 23: स्वीकार्य कार्य का प्रकार: डेयरी-1, मुर्गीपालन-2, अन्य पशुपालन-3, खाद्य प्रसंस्करण-4, कढ़ाई एवं बुनाई-5, लकड़ी एवं बेंत उत्पाद का विनिर्माण-6, सिलाई-7, चर्म उत्पादों का विनिर्माण-8, अन्य-9.

मद 25: उस कार्य को प्रारम्भ करने के लिये आपको क्या सहयोग आवश्यक है: कोई सहयोग नहीं-1; हां: आसान शर्तों पर प्रारम्भिक वित्त -2, कार्यशील वित्तीय सुविधाएं-3, कच्चे माल की आसान उपलब्धता-4, सुनिश्चित बाजार-5, प्रशिक्षण-6, आवास-7, अन्य-9.

[9] पारिवारिक उपभोक्ता व्यय			
क्र. सं.	मद समूह	उपभोग का मूल्य (रु. में)	
		पिछले 30 दिनों में	पिछले 365 दिनों में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनाज एवं अनाज उत्पाद (मूड़ी, चिबड़ा, मैदा, सूजी, नूडल्स, ब्रेड (बेकरी), जौ, अनाज प्रतिस्थापी आदि सहित)		
2.	दाल एवं दाल उत्पाद (सोया बीन, चना उत्पाद, बेसन, सत्तू आदि सहित)		
3.	दूध		
4.	दुग्ध उत्पाद (संघनित/ पाउडर दूध, शिशु आहार, घी, मक्खन, आइसकीम आदि सहित)		
5.	खाद्य तेल एवं वनस्पति तेल		
6.	सब्जियां (लहसुन, अदरक सहित)		
7.	फल एवं गिरियां (आम, केला, नारियल, खजूर, किशमिश, मुनक्का, अन्य मेवे आदि सहित)		
8.	अंडा, मछली एवं मांस		
9.	चीनी (गुड़, मिश्री, शहद आदि सहित)		
10.	नमक एवं मसाले (सूखी मिर्च, करी पाउडर, तिलहन आदि सहित)		
11.	अन्य खाद्य पदार्थ (चाय, काफी, फलों का रस एवं संसाधित खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, केक, अचार, सॉस, पका भोजन आदि सहित)		
12.	पान, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य		
13.	ईंधन एवं प्रकाश		
14.	मनोरंजन (सिनेमा, पिकनिक, खेलकूद, क्लब शुल्क, वीडियो कैसेट, केबिल शुल्क आदि सहित)		
15.	वैयक्तिक देखभाल एवं सामग्री (चश्मा, टॉच, पेन, छतरी, लाईटर आदि सहित)		
16.	प्रसाधन सामग्री (दूधपेस्ट, केश तेल, दाढ़ी बनाने का ब्लेड आदि सहित)		
17.	विविध वस्तुएं (विद्युत बल्ब, ट्यूबलाईट, कांच के बर्तन, बाल्टी, धुलाई का साबुन, अंगरबती, कीटनाशक आदि सहित)		
18.	उपभोक्ता सेवाएं वाहन के अतिरिक्त (घरेलू नौकर, दर्जी, पिसाई शुल्क, टेलीफोन, विधिक व्यय, पालतू जानवर आदि सहित)		
19.	वाहन प्रभार (कुली भाड़ा, डीजल, पेट्रोल, स्कूल बस/वैन आदि सहित)		
20.	किराया/ मकान भाड़ा		
21.	उपभोक्ता कर एवं उपकर (जल प्रभार आदि सहित)		
22.	चिकित्सा व्यय (गैर संस्थागत)		
23.	उपजोड़ (मद 1 से 22)		
24.	चिकित्सा व्यय (संस्थागत)		
25.	शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (निजी शिक्षक, स्कूल/ कॉलेज शुल्क आदि सहित)		
26.	विद्यालयी पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री (समाचार पत्र, पुस्तकालय शुल्क, लेखन सामग्री, इन्टरनेट शुल्क आदि सहित)		
27.	वस्त्र एवं बिस्तर		
28.	जूते		
	टिकाऊ वस्तुएं		
29.	फर्नीचर एवं जूड़नार (पलंग, अलमारी, सूटकेस, दरी, चित्रकला आदि सहित)		
30.	क्लाकरी एवं बर्तन (स्टेनलेस स्टील के बर्तन, कैसरोल, थर्मस आदि सहित)		
31.	भोजन पकाने का एवं घरेलू उपकरण (बिजली का पंखा, एयरकंडीशनर, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, हीटर, टोस्टर आदि सहित)		
32.	मनोरंजन की वस्तुएं (टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वाद्य यन्त्र आदि सहित)		
33.	आभूषण एवं जवाहरात		
34.	व्यक्तिगत परिवहन उपकरण (साईकिल, स्कूटर, कार, टायर एवं ट्यूब आदि सहित)		
35.	व्यक्तिगत उपकरण (पत्थर की आंख, सुनने की मशीन, विकलांगों के उपकरण आदि सहित)		
36.	अन्य व्यक्तिगत सामग्री (दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, कम्प्यूटर, टेलीफोन उपकरण, मोबाइल फोन उपकरण आदि)		
37.	मरम्मत एवं रखरखाव (आवासीय भवन, स्नान गृह उपकरण आदि)		
38.	उपजोड़ (मद 24 से 37)		
39.	मद 24 से 37 तक के मदों के लिए औसत मासिक व्यय [मद 38 × (30 ÷ 365)]		
40.	मासिक पारिवारिक उपभोक्ता व्यय (मद 23 + मद 39)		